न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मुख्यालय गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी— सुदर्शन सिंह तोमर

क0सं0	अपील सं0	GCMS NO.	दर्ज दिनांक	उनवान	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	140/25	2025/218	09/12/2025	दीपक बनाम सरकार	30.01.2026	1 लगायत 3

1. दीपक पुत्र हरिचरण जाति गुंसाई निवासी फुलवाड़ा तहसील वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर। —अपीलार्थी

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील वजीरपुर। —रेस्पोडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः—

1. अपीलार्थी पक्ष की और से :— विद्वान अधिवक्ता श्री इस्लाम खांन
2. रेस्पोडेन्ट पक्ष की और से :— पेरोकार सरकार

निर्णय

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार वजीरपुर द्वारा मिसल संख्या 26/2025 में पारित निर्णय दिनांक 15/09/2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम फुलवाड़ा के आराजी ख0नं0 1144 रकबा 0.43 है0 किस्म सिवायचक पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि पटवारी हल्का ग्राम फुलवाड़ा द्वारा प्रार्थी अपीलार्थी के विरूद्ध तहसीलदार वजीरपुर के समक्ष एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि अपीलार्थी द्वारा सिवायचक भूमि हाल खसरा नम्बर 1144 वाके ग्राम फुलवाड़ा पर संवत् 2082 में अवैध अतिक्रमण कर लिया है। उक्त रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर कर अपीलार्थी को नोटिस जारी किये गये अपीलार्थी ने उपस्थित होकर अपना जबाब प्रस्तुत किया कि उक्त भूमि मन्दिर श्री पीपली मठ विराजमान फुलवाड़ा की खातेदारी भूमि है, [illegible] भूमि नहीं है तथा अपीलार्थी मन्दिर का पुजारी है तथा उसका कब्जा पुजारी की हैसियत से [illegible] इस[illegible] उसे बेदखल नहीं किया जावे लेकिन तहसीलदार वजीरपुर द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 15.09.2025 [illegible] बेदखल कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी को यह अपील निम्न आधारों पर पेश करनी आवश्यक हुई। निर्णय अदालत [illegible] खिलाफ

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:07:21 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

कानून व रूयेदाद मिसल है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अदालत मातहत ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सही रूप से विवेचन नहीं कर अपीलार्थी के विरूद्ध बेदखली का आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है। अदालत मातहत ने अपीलार्थी द्वारा उपस्थित होकर पेश किये गये जबाब को रिकार्ड पर नहीं लिया तथा ना ही अपीलार्थी की हाजरी दर्ज की तथा अपीलार्थी के विरूद्ध गलत निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अदालत मातहत ने दिनांक 15.09.2025 को अपीलार्थी को गैरमौजूदगी में उक्त निर्णय पारित किया है तथा प्रशासनिक सुधार (अनु–3) विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.6(17) प्र0सु0/अनु3/2002 दिनांक 07.12.2009 के अनुसार तहसीलदार उक्त निर्णय पारित करने हेतु सक्षम नहीं है,साथ ही विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने उक्त अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने तथा अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी का अतिक्रमण पाये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नहीं है, साथ ही पेरोकार सरकार ने अपील अपीलार्थी खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपीलार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2074–77 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के अनुसार उक्त वाद आराजीयात श्री पीपली जी महाराज हिस्सा–पूर्ण सा0देह खातेदार दर्ज रिकोर्ड है। प्रशासनिक सुधार (अनु–3) विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.6(17) प्र0सु0/अनु3/2002 दिनांक 07.12.2009 का अवलोकन किया गया। प्रशासनिक सुधार (अनु–3) विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.6(17) प्र0सु0/अनु3/2002 दिनांक 07.12.2009 के अनुसार राज्य के ग्रामीण अंचलों में स्थित राजकीय विज्ञापित मंदिरों के अतिरिक्त समस्त अराजकीय मंदिरों/धार्मिक पूजा स्थलों के प्रबन्धन एवं वांछनीय उचित व्यवस्था करने हेतु महामहिम राज्यपाल महोदय की आज्ञा से राज्य के प्रत्येक तहसील स्तर पर निम्नालिखिल नवीन स्थायी समिति का गठन किया गया है।

1. संबंधित उपखण्ड अधिकारी –अध्यक्ष
2. संबंधित तहसील का तहसीलदार – उपाध्यक्ष
3. सार्वजनिक निर्माण विभाग का संबंधित तहसील का सहायक अभियन्ता या उनके द्वारा नामित कनिष्ठ अभियन्ता – सदस्य
4. संबंधित तहसील के विधुत निगम का सहायक अभियंन्ता – सदस्य
5. संबंधित पंचायत समिति का विकास खण्ड अधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि जो प्रसार अधिकारी से कम स्तर का नहीं हो – सदस्य
6. सबंधित पुलिस थान का भार साधक अधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि जो सहायक उप निरीक्षक से कम स्तर का नहीं हो –सदस्य
7. संबंधित वृत का सहायक आयुक्त देवस्थान या सबंधित वृत्त का निरीक्षक, देवस्थान अथवा संबंधित वृत्त के सहायक आयुक्त देवस्थान द्वारा नामित विभागीय कार्मिक –सदस्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:07:24 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उक्त प्रकरण में विवादित आराजीयात भूमि जमाबन्दी अंतिम चौसाला आधार संवत् 2074–2077 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) में स्थायी के अनुसार श्री पीपली जी महाराज हिस्सा पूर्ण सा0देह खातेदार है। प्रशासनिक सुधार (अनु–3) विभाग राजस्थान सरकार के आदेश कमांक प.6(17) प्र0सु0/अनु3/2002 दिनांक 07.12.2009 के अनुसार उक्त प्रकरण में कार्यवाही नवीन स्थायी समिति के द्वारा किया जाना चाहिए था। ऐसी स्थिती में तहसीलदार वजीरपुर द्वारा की गई कार्यवाही न्यायोचित होना प्रतीत नहीं होती है।

अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.09.2025 निरस्त किया जाता है, साथ ही तहसीलदार वजीरपुर को निर्देशित किया जाता है कि मन्दिर माफी संबंधित भूमि के प्रकरणों में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेश/परिपत्र/अधिसूचना के आधार पर ही निस्तारण करे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति के भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति. जिला कलक्टर,
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:07:24 IST
Reason: SelfAttested